न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223RTA 2022-246 (GCMS 2022-344)

1. नगाराम पुत्र रूगाराम
2. भागीरथ पुत्र रूगाराम
3. रामुराम पुत्र रूगाराम
4. दौलाराम उर्फ दलाराम पुत्र किस्तुरराम
5. उम्मेदराम पुत्र किस्तुरराम
6. इसाराम पुत्र जीयाराम
7. रूगाराम पुत्र भींजाराम
8. किस्तुरराम पुत्र भींजाराम (नाम तर्क)
9. श्रीमती केसुदेवी पत्नी रूगाराम
10. श्रीमती गलकाई पत्नी किस्तुरराम
    सभी जाति जाट, निवासीगण गांव छिंडिया
    तहसील बावडी, जिला जोधपुर
11. पीराराम पुत्र आईदानराम जाति जाट
    निवासी कजनाउ खुर्द, तहसील बावडी
    जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. सवाईसिंह पुत्र शम्भुदान
2. जसवंतदान पुत्र शम्भुदान
3. जीवराजसिंह पुत्र शम्भुदान
4. शैतानसिंह पुत्र शम्भुदान
   सभी जाति चारण, निवासी गांव छिंडिया
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर
5. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री शम्भुदान पत्नी जुगतीदान
   5.1. अवदेशसिंह पुत्र जुगतीदान
   5.2. श्यामसिंह पुत्र जुगतीदान
   5.3. बेबी कंवर पुत्री जुगतीदान
   5.4. जेठी कंवर पुत्री जुगतीदान
   5.5. पिंकी कंवर पुत्री जुगतीदान
   5.6. उषा कंवर पुत्री जुगतीदान
   सभी जाति चारण हाल पता इन्द्राकली
   तहसील मारवाड मुण्डवा, जिला नागौर (राज)
6. श्रीमती सुवटी पत्नी उमाराम
7. किशनाराम पुत्र उमाराम
8. गुलाराम पुत्र उमाराम
9. जीया पुत्री उमाराम
10. मांगीदेवी पुत्री उमाराम
11. आचुडी पुत्री उमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. उम्मेदराम पुत्र श्रीराम
    उपरोक्त सभी जाति जाट निवासी गांव छिंडिया
    तहसील बावडी, जिला जोधपुर
13. श्रीमती जनक कंवर पत्नी भवानीसिंह
14. भवानीसिंह पुत्र शुभकरण
15. मनोहरसिंह पुत्र शुभकरण
    तीनों जाति चारण हाल पता मरुधर कॉलोनी
    बार्ड नम्बर 60, नागौर (राज.)
16. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बावडी
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक 05 जुलाई 2022 राजस्व प्रकरण संख्या 76/2022 सवाईसिंह व अन्य बनाम सुवटी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री आनन्द गोरा व श्री जी.आर.गोरा, अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स
श्री एम.डी.बूब, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित एवं शारदा विश्नोई, अधिवक्तागण-रेस्पो. संख्या 6 से 12
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. 13 से 15
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 19 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 76/2022 सवाईसिंह व अन्य बनाम सुवटी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 सितम्बर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छिन्डिया स्थित आराजी खसरा संख्या 251/213 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद उमाराम आदि द्वारा प्रतिवादीगण जनककंवर व अन्य के खिलाफ प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व वाद संख्या 65/2002 विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2006 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 125/2006 श्रीमती जनककंवर बनाम उमाराम के वारिसान तथा अपील संख्या 102/2006 शम्भुदान बनाम उमाराम आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22 सितम्बर 2008 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 12197/2006/जोधपुर जनककंवर व अन्य बनाम सुवटी इत्यादि दिनांक 04 अप्रेल 2022 को खारिज हुई। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 35/2022(65/2000) में पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी। जिसके दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सवाईसिंह आदि की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसके संबंध में एकपक्षीय सुनवाई कर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2022 पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने स्थगन प्रार्थनापत्र मृतक शम्भुदान के वारिसान द्वारा पेश किया गया है, जबकि मूल वाद में मृतक शम्भुदान के वारिसान अभिलेख पर ही नहीं लिये गये है। इसी प्रकार अन्य दो केसूदेवी पत्नी रूगाराम व गलकाई पत्नी किस्तुरराम जो वादग्रस्त आराजी के हस्तान्तरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में नवीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकार बने है, को भी भी प्रार्थनापत्र में पक्षकार नहीं जोडा गया और न ही मूल वाद में अभिलेख पर लिया गया है। इतना ही नहीं, दावा प्रस्तुत होने के बाद करीब 22 वर्षो बाद प्रार्थनापत्र क्यूं और किन परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत किया गया, इसका कोई विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मूल विवाद मात्र खसरा संख्या 251/213 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में ही है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश सभी खसरान के संबंध में स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है, जो सही नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य अपील कानूनन चलने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 12 अगस्त 2022 तक जारी करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस किये जाने के निर्देश भी दिये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 12 से 17 (अपीलाण्ट्स संख्या 2 से 7) की ओर से आगामी पेशी 12 अगस्त 2022 पर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग दी। अन्य अप्रार्थीगण की तलबी हेतु इंतजार में आगे पेशी मुकर्रर की गयी। इसके बाद विचारण न्यायालय में 17 अक्तूबर 2022 तक उक्त अपीलाण्ट्स की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र का कोई जबाब पेश नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन आदेश के संबंध मे कोई उज्र एतराज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपितु अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 06 सितम्बर 2022 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश की गयी, जो खारिज की जावे। इतना ही नहीं, प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट्स के स्वयं अपने हक-हिस्से की भूमि में निहित स्वत्व के साथ-साथ अन्य सहखातेदारान के हितों के संबंध में भी अपील में चुनौती दी गयी है जिसका अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे। अन्य रेस्पो. की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी-अप्रार्थीगण द्वारा जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम सुदृढ आधारों पर पेश किया जाहिर करते हुए काउण्टर क्लेम के निस्तारण तक सभी खसरा नम्बरान के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। इन परिस्थितियों में दावे एवं काउण्टर क्लेम की विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स (जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार है) की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत आक्षेप में सार नहीं पाया जाता है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपील मीमो के पद संख्या 5 में अपीलाण्ट्स की ओर से अंकित किया गया है कि "... वाद पत्र में अन्य दो व्यक्ति केसूदेवी पत्नी श्री रूगाराम व गलकाई पत्नी श्री किस्तुरराम जो हस्तान्तरण से नवीन खातेदार रिकार्ड में आये है, जिन्हें भी वादपत्र में पक्षकार नहीं जोडा गया है एवं न ही प्रार्थनापत्र में ही पक्षकार जोडा गया है ..."। गौरतलब है कि आलौच्य अपील में उक्त दोनों बतौर अपीलाण्ट संख्या 9 एवं 10 पक्षकार अंकित है किन्तु इनकी ओर से अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपील के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। इस कारण भी आलौच्य अपील दोषग्रस्त पायी जाती है।

इतना ही नहीं, अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2022 एक अन्तरिम आदेश है जिसके जरिये विचारण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12 अगस्त 2022 तक अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि आगामी पेशी 12 अगस्त 2022 पर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग दी। अन्य अप्रार्थीगण की तलबी हेतु इंतजार में आगे पेशी मुकर्रर की गयी। इसके बाद विचारण न्यायालय में 17 अक्तूबर 2022 तक उक्त अपीलाण्ट्स की ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन आदेश के संबंध मे कोई उज्र एतराज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील स्तर पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम आदेश दिनांक 05 जुलाई 2022 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का आगामी दो माह की अवधि में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर